प्रेस नोट

दिनांक 09.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित रगड़गंज चौकी का किया गया उद्घाटन-

गोण्डा। आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नवनिर्मित रगडगंज चौकी का क्षेत्र के व्यापारीबन्धु व संभ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में फीता काटकर उद्घाटन किया गया तथा स्थापना में सहयोग करने वाले व्यापारीबन्धुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि पुलिस चौकी के निर्माण से चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने व जनता को त्वरित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। महोदय ने पुलिसकर्मियों और ग्राम प्रहरियों को अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। महोदय ने साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को अवैध ऐप्स से दूर रहने और ओटीपी शेयर न करने की सलाह दी। क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और उन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने चौकी के निर्माण का स्वागत किया। तत्पश्चात महोदय द्वारा चौकी परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह, प्र0नि0 तरबगंज सहित क्षेत्र के व्यापारीबन्धु व संभ्रान्त व्यक्ति मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की एक्टिवा स्कूटी व घटना में प्रयुकत बलेनो कार बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-254/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 मोटरसाईकिल चोरों-01.अंश सिंह पुत्र उमेश प्रताप सिंह नि0 निकट गुरूद्वारा पाण्डेय बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. अजय जयसवाल उर्फ सिद्धार्थ जयसवाल पुत्र चन्द्र प्रकाश जयसवाल नि0 राधाकुण्ड पाण्डेय बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 03. आयुषी त्रिपाठी पुत्र मानेन्द्र त्रिपाठी निवासिनी जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को आसरा आवास जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 चोरी की एक्टिवा स्कूटी व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बलेनो कार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को फुलवारी पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा नि0 बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.04.2025 को फुलवारी पब्लिक स्कूल के बाहर से अज्ञात चोर द्वारा उनकी एक्टिवा स्कूटी चोरी कर ली गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.04.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों-01. अंश सिंह, 02. अजय जयसवाल उर्फ सिद्धार्थ जयसवाल, 03. आयुषी त्रिपाठी को आसरा आवास जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद एक्टिवा स्कूटी व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बलेनो कार को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अंश सिंह पुत्र उमेश प्रताप सिंह नि0 निकट गुरूद्वारा पाण्डेय बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02. अजय जयसवाल उर्फ सिद्धार्थ जयसवाल पुत्र चन्द्र प्रकाश जयसवाल नि0 राधाकुण्ड पाण्डेय बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

03. आयुषी त्रिपाठी पुत्र मानेन्द्र त्रिपाठी निवासिनी जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-254/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद एक्टिवा स्कूटी।

02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद बलेनो कार।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश कुमार।

02. हे0का0 मनोज यादव।

03. का0 संदीप कुमार।

04. म0का0 शीला देवी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.04.2025

थाना छपिया पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर गोकश बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना छपिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0-98/25, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया से सम्बन्धित 02 शातिर अपराधियों-01. नासिर पुत्र अजीज, 02. कलीम पुत्र अजीज निवासीगण ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को दीनगर क्रासिंग से स्वामीनाथन मंदिर जाने वाले मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को थाना छपिया पुलिस को ग्राम मल्हीपुर में प्रतिबंधित पशु के मांस पाए जाने की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वादी मनीष कुमार पाण्डेय पुत्र शिव कुमार पाण्डेय नि0 हथियागढ थाना छपिया जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना छपिया में 03 नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना छपिया पुलिस द्वारा तत्काल एक अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया था । घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था । आज दिनांक 09.04.2025 को एस0ओ0जी0 व थाना छपिया की संयुक्त पुलिस टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में रवाना थी कि सूचना प्राप्त हुई की उक्त मुकदमें के वांछित अभियुक्तगण दीनगर क्रासिंग से स्वामीनाथन मंदिर की तरफ जा रहे है । सूचना पर पुलिस टीम द्वारा स्वामीनाथन मंदिर जाने वाले मार्ग पर शातिर अपराधियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी । आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाशों-01. नासिर, 02. कलीम पुत्रगण अजीज के पैर में गोली लगी । जिन्हे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा, 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. नासिर पुत्र अजीज नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. कलीम पुत्र अजीज नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-98/25, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-100/25, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद अवैध तंचमा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद।

अभियुक्त नासिर पुत्र अजीज का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-16/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-24/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-76/18 धारा 435 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-90/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-172/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-174/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना छपिया जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-197/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0-260/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0-244/18 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0-264/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त कलीम पुत्र अजीज का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-156/24, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-184/23, धारा 307,504,506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-76/18, धारा 435 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-118/17, धारा 363,366,504 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-123/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-189/18, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-339/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. निरी0 संजय कुमार गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0।
02. थानाध्यक्ष छपिया कृष्ण गोपाल राय।
03. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस
04. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता।
05. उ0नि0 तेजनारायण गुप्ता।
06. हे0का0 अमित पाठक।
07. हे0का0 हृदय नारायण दीक्षित।
08. हे0का0 रणधीर सिंह।

09. हे0का0 रवि।

10. हे0का0 महेंद्र यादव।

11. का0 अमितेश सिंह।

12. का0 अंशुमान पाण्डेय।

13. का0 आदित्य पाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट

दिनांक 09.04.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-82/25, धारा 115(2),352,351(3),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्याभियुक्तों-01. बाबूराम तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, 02. सचिन तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी निवासीगण पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को मिर्जा नियाजी भठ्ठा के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.03.2025 को थाना को0 देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरी सागर मौजा महदेवा में जमीनी विवाद के चलते विपक्षीगणों द्वारा वादी विजय कुमार पुत्र स्व0 तुंगनाथ तिवारी के लड़के मनोज को लाठी-डण्डे व लोहे की रा ॅड से मारा-पीटा था। परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से डाक्टरों द्वारा उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां पर उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता विजय कुमार की तहरीर पर थाना को0 देहात में 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें दिनांक 05.03.2024 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 09.04.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त 02 वांछित अभियुक्तों-01. बाबूराम तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, 02. सचिन तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी निवासीगण पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को मिर्जा नियाजी भठ्ठा के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. बाबूराम तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

02. सचिन तिवारी पुत्र बाबूराम तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-82/25, धारा 115(2),352,351(3),103(1) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात।

02. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह।

03. का0 संजय कुमार।

04. का0 रोहित सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।